संख्या-138/2024/1219/22-2-2024-17(264)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2024*

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वंशराज पुत्र श्री रामबहाल, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-23457/प्रोबे0-5-दया0/जि0का0 बस्ती-3712, दिनांक 02.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वंशराज पुत्र श्री रामबहाल, शिवपुर महुरायें, थाना-लालगंज, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 26.05.2001 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। इस प्रकार के अपराध से समाज में गलत सन्देश जाता है एवं आपसी सौहार्द समाप्त होता है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-290/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, बस्ती के आदेश दिनांक 28.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.07.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.04.2024 तक 12 वर्ष, 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 14 वर्ष, 07 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक बस्ती तथा जिलाधिकारी बस्ती की रिपोर्ट, जिसमें पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा अवगत कराया गया है कि जिस जमीन को लेकर हत्या जैसी घटना कारित हुई थी, उसका विवाद अभी भी चल रहा है, बन्दी द्वारा भविष्य में अन्य किसी अपराध कारित करने से इन्कार नही किया जा सकता है, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य है एवं बन्दी द्वारा कारित किये गये घटना से अभी भी तनाव की स्थिति है इसलिए बन्दी के समयपूर्व रिहाई से किसी अप्रिय घटना होने से इन्कार नही किया जा सकता है। इस प्रकार जिलाधिकारी बस्ती द्वारा भी अवगत कराया गया है कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा भविष्य में किसी अन्य अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है, जिस जमीन को लेकर हत्या जैसा अपराध किया गया है उसको लेकर वर्तमान समय में मुकदमा वादी पक्ष में तनाव है। इस प्रकार दयायाचिका समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वंशराज (बन्दी संख्या-165/2015) पुत्र श्री रामबहाल, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-138/2024/1219(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद (सिविल) संख्या-8922/2024 इन रिट पिटिशन (क्रि0) संख्या-398/2021 दिनांक 08.07.2024 एवं दिनांक 19.07.2024 तथा अवमानना वाद (सिविल) संख्या-15964/2024 इन रिट पिटिशन (क्रि0) संख्या-488/2021 दिनांक 19.07.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।